

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2018

दिनांक-

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत श्रीमती पिस्ता शर्मा व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि अलोद, कोटा जिनकी जन्म तिथि:- 16.07.1963 ने दिनांक 01.07.2021 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 30.09.2021 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति इस कार्यालय के समसख्यक आदेश दिनांक 09.09.2021 के द्वारा जारी की गई थी ।

अतः श्रीमती पिस्ता शर्मा, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि अलोद, कोटा को राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्राधानान्तर्गत दिनांक 30.09.2021 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रारूप 06 में एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्रीमती पिस्ता शर्मा, प्राध्यापक (हिन्दी) के विरुद्ध दिनांक तक-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।

(काना राम)
आई.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा निवृत्ति/2020/24
प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

दिनांक-17/01/22

1. निदेशक, पेशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
3. संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि.
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को वैबसाईट पर अपलोड हेत
5. अनुभाग अधिकारी एबी/वरिष्ठता/डीपीसी अनुभाग को कार्मिक के वरिष्ठता क्रमांक 231/011-12 के विलोपन की कार्यवाही के संबध में ।
6. संबधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
7. प्रधानाचार्य, राउमावि अलोद, कोटा
8. श्रीमती पिस्ता शर्मा व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि अलोद, कोटा
9. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2018

दिनांक-

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत श्री गुलाबचन्द व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि डांगरा, सायला-जालोर जिनकी जन्म तिथि:- 01.01.1966 ने दिनांक 10.08.2021 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 01.11.2021 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति इस कार्यालय के समसख्यक आदेश दिनांक 11.10.2021 के द्वारा जारी की गई थी ।

अतः श्री गुलाबचन्द व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि डांगरा, सायला-जालोर को राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 01.11.2021 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रारूप 06 में एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री गुलाबचन्द, प्राध्यापक (हिन्दी) के विरुद्ध दिनांक तक-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।



(कानो राम)
आई.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

सत्यमेव जयते

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा निवृत्ति/2020 /23
प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

दिनांक-17/01/22

1. निदेशक, पेशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि.
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु
5. अनुभाग अधिकारी एबी/वरिष्ठता/डीपीसी अनुभाग को कार्मिक के वरिष्ठता क्रमांक 1444/05-06 के विलोपन की कार्यवाही के संबंध में ।
6. संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
7. प्रधानाचार्य, राउमावि डांगरा, सायला-जालोर
8. श्री गुलाबचन्द व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि डांगरा, सायला-जालोर
9. निजी एवं रक्षित पत्रावली

(संयुक्त निदेशक)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2018

दिनांक-

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत श्री राज कुमार पारीक व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि फलासिया, भुपालसागर- चित्तौडगढ़ जिनकी जन्म तिथि:- 19.09.1972 ने दिनांक 28.06.2021 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 01.10.2021 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति इस कार्यालय के समसख्यक आदेश दिनांक 09.09.2021 के द्वारा जारी की गई थी ।

अतः श्री राज कुमार पारीक व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि फलासिया, भुपालसागर- चित्तौडगढ़ को राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 01.10.2021 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रारूप 06 में एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित राज कुमार पारीक, प्राध्यापक (हिन्दी) के विरुद्ध दिनांक तक-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।



(Handwritten Signature)
(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा निवृत्ति/2020/22
प्रतिया सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रप्रेषित -

दिनांक- 17/01/22

1. निदेशक, पेशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि.
4. अनुभाग अधिकारी एबी/वरिष्ठता/डीपीसी अनुभाग को कार्मिक के वरिष्ठता क्रमांक 3188/11-12 के विलोपन की कार्यवाही के संबंध में ।
5. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को वैबसाईट पर अपलोड हेत
6. संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
7. प्रधानाचार्य, राउमावि फलासिया, भुपालसागर- चित्तौडगढ़
8. श्री राजकुमार पारीक व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि फलासिया, भुपालसागर- चित्तौडगढ़
9. निजी एवं रक्षित पत्रावली

(Handwritten Signature)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

राजस्थान-सरकार
कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:सेवा संतोषजनक प्रमाण-पत्र:—

प्रारूप-6 परिशिष्ट-“अ”

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत निम्नांकित प्राध्यापकों (विषय राजनीति विज्ञान) के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदेश इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी किये जा चुके हैं।

राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) नियम- 50(1) के प्रावधानानुसार निम्नांकित कार्मिकों 15 वर्ष की अर्हकारी सेवाएं एवं 45 वर्ष की आयु दोनों शर्तें पूर्ण करते हैं, उक्त नियमों के अन्तर्गत कॉलम संख्या-06 में अंकित दिनांक से निम्नांकित कार्मिकों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्रस	नाम कार्मिक	जन्मतिथि	पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक
01	02	03	04	05	06
1.	दीपा शर्मा	22.08.1971	राबाउमावि नयाबास, अलवर	04.11.1995	01.11.2021
2.	श्रीमती शकुन्तला शर्मा	28.10.1966	राउमावि फतेहपुर, खमनोर, राजसमंद	14.11.1992	01.11.2021

1. सम्बन्धित संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष उक्त कार्मिकों से ऑडिट सम्बन्धित वसूली/अन्य वसूली निकाली जावेगी तो सम्पूर्ण जिम्मेवारी कार्मिकों की होगी, का सम्बन्धित से स्वयं हस्ताक्षरित शपथ पत्र लिया जाकर निर्धारित तिथि को सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित कार्यवाही करें।

2. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तिथि अकार्य दिवस होने के कारण उक्त तिथि का वेतन देय नहीं होगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नामित शिक्षा सेवा के कार्मिकों के विरुद्ध आज तक:-

1.राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम - 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।

2.राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया कि कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

3.कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

सत्यमेव जयते

(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-6/राज.विज्ञान/स्वै.से.नि./31901/2019/235 दिनांक:- 17/01/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग.....
2. उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
3. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
5. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक
6. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर।
7. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/ओएसी/गोपनीय प्रतिवेदन अनुभाग।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

(हस्ताक्षर)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

प्रारूप-6

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-7/10908/हिन्दी/15-16/81 दिनांक-23.02.2015 के आदेश संख्या-03 के क्रम सं-01 पर अंकित श्री अमरसिंह, (जन्मतिथि-09.08.1955, सेवानिवृत्ति तिथि-31.08.2015) व्याख्याता (हिन्दी), राउमावि, भौरी, भरतपुर का सेवानिवृत्ति आदेश जारी किया गया था। उस समय श्री अमरसिंह के विरुद्ध नियम-16 में विभागीय जांच विचाराधीन थी। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-शिविरा/माध्य/वि. जांच/11143/R-239/2015 /426-427 दिनांक-30.03.2021 द्वारा श्री अमरसिंह, सेवानिवृत्त व्याख्याता (हिन्दी) राउमावि, भौरी, भरतपुर का विभागीय जांच प्रकरण समाप्त (DROP) किया जा चुका है।

अतः प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमरसिंह, सेवानिवृत्त व्याख्याता (हिन्दी) के विरुद्ध आज तक-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवानिवृत्ति/10908/2020-21/17, दिनांक-17/01/22
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) भरतपुर संभाग, भरतपुर
- 2-उपनिदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, भरतपुर
- 3-मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा), भरतपुर
- 4-सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
- 5-प्रधानाचार्य, राउमावि, भौरी, भरतपुर
- 6-श्री अमरसिंह, सेनि. व्या.(हिन्दी), अउ गेट डीग, वार्ड नं.-19, तह.डीग जिला भरतपुर
- 7-रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर